विज्ञप्ति

गतवर्ष की काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने वाले कुछ अभ्यर्थियों द्वारा असुविधाओं/अस्पष्टता का अनुभव किया गया। जिसके कम में निम्नलिखित सूचनायें आगामी यू0पी0 आयुष यू0जी0/पी0जी0 काउंसिलिंग–2024 में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों को इस विज्ञप्ति के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही हैं:–

(क) बी0ए0एम0एस0, बी0यू0एम0एस0 एवं बी0एच0एम0एस0 (यू0जी0) पाठ्यक्रमों हेतु:–

1. प्रदेश के राजकीय एवं निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथी मेडिकल कालेजों में बी0ए0एम0एस0, बी0यू0एम0एस0 एवं बी0एच0एम0एस0 पाठ्यक्रमों में नीट यू0जी0–2024 की मेरिट के आधार पर यू0पी0 आयुष यू0जी0 काउंसिलिंग–2024 के माध्यम से आनलाइन काउंसिलिंग द्वारा सीट आंवटन एवं प्रवेश की प्रकिया सम्पन्न की जायेगी।
2. गतवर्ष यू0जी0 एवं पी0जी0 काउसिंलिंग के शासनादेश दिनांक 18 अगस्त, 2023 एवं उनसे सम्बन्धित विवरण–पुस्तिका (ब्रोशर) काउंसिलिंग की वेबसाइट www.upayushcounseling. upsdc.gov.in पर उपलब्ध है, जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।
3. प्रदेश के **राजकीय आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथी कालेजों** में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को उ0प्र0 का मूल निवासी होना आवश्यक है। इस निमित्त जिन अभ्यर्थियों ने हाईस्कूल अथवा समकक्ष एवं इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष दोनों परीक्षायें उ0प्र0 से उत्तीर्ण की हो, उनके लिए डोमिसाइल/सामान्य निवास प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं होगा। हाईस्कूल अथवा समकक्ष एवं इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षाओं में से कोई भी एक अथवा दोनो परीक्षायें यदि उ0प्र0 से बाहर उत्तीर्ण की हो, तो अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत उ0प्र0 के निवासी होने का (डोमिसाइल/सामान्य निवास) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से हाईस्कूल अथवा समकक्ष एवं इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष उत्तीर्ण अभ्यर्थी को भी निवास प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

   नोट–डोमिसाइल/सामान्य निवास प्रमाण पत्र हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–157/तीन–2003–77(11)/83 दिनॉक 18.02.2003 में जो प्रारूप निर्धारित किया गया है उसी पर डोमिसाइल/सामान्य निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उक्त शासनादेश दिनांक–18.02.2003 का प्रारूप ब्रोशर (विवरण पुस्तिका) के साथ संलग्न कर अधिकृत वेबसाइट पर अपलोड कराया जायेगा।
4. प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथिक कालेजों में राज्य कोटा के अर्न्तगत उपलब्ध सीटों पर आरक्षण की सुविधा उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा निर्गत शासनादेशों के अर्न्तगत केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को अनुमन्य होगी।
5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर (E.W.S.) वर्ग के अभ्यर्थी/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक (युद्ध में अपंग/सेवानिवृत्त/शहीद) के पुत्र/पुत्रियों एवं पुत्र/पुत्री के पुत्र/पुत्रियों की श्रेणी के आरक्षित अभ्यर्थियों के लिये संगत श्रेणी के अभ्यर्थी होने के संबंध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर दिये गये प्रमाण–पत्र ही मान्य होंगें।
6. **किसी अन्य प्रदेश, केन्द्रशासित एवं उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा भारत सरकार के सेवायोजन हेतु निर्गत प्रमाण–पत्र मान्य नही होंगे।**
7. **अन्य पिछड़ा वर्ग–नॉन कीमी लेयर (ओ0बी0सी0–एन0सी0एल0) एंव आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई0डब्ल्यू0एस0) के आरक्षण हेतुप्रमाण–पत्र दिनांक 01 अप्रैल, 2024 अथवा उसके बाद में जारी होने चाहिए। दिनांक 01 अप्रैल, 2024 अथवा उससे पूर्व निर्गत प्रमाण–पत्रों पर आरक्षण की सुविधा अनुमन्य नही होगी।**
8. दिव्यांगजन (पी0डब्लू0डी0) के आरक्षण हेतु आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शैक्षणिक सत्र 2024–25 हेतु निर्धारित केन्द्रों द्वारा निर्धारित प्रारूप पर शैक्षणिक सत्र 2024–25 हेतु निर्गत प्रमाण–पत्र ही मान्य होंगे।

Scanned with CamScanner

9. कार्मिक अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–18/1/2008–का–2–2015, दिनॉक 21.04.2015 के अनुसार उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1993 (यथासंशोधित) में प्राविधानित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित–पुत्र, पुत्री, पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) द्वारा निर्धारित प्रारुप में **सक्षम प्राधिकारी/अधिकारी अर्थात जिलाधिकारी** द्वारा ही निर्गत आश्रित प्रमाण पत्र काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

10. भूतपूर्व सैनिक के आश्रित पुत्र/पुत्री को जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास बोर्ड द्वारा निर्गत तथा सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास बोर्ड के उच्चाधिकारियों अथवा सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र ही मान्य होंगे।

11. एन0सी0सी0 प्रमाण पत्र (सी सर्टिफिकेट न्यूनतम बी ग्रेडिग के साथ) नेशनल कैडेट कोर (National Cadet Corps) हेतु निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी (महानिदेशक/उप–महानिदेशक) द्वारा जारी हो, ही मान्य होगा।

12. विमुक्त जाति के अभ्यर्थियों को अनुसूचित जाति का आरक्षण मान्य नही होगा, उन्हें सुसंगत श्रेणी का जाति प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराना होगा।

13. पहचान प्रमाण–पत्र के रूप में आधार, आधार उपलब्ध न होने की दशा में पेनकार्ड/फोटो युक्त बैंक पासबुक/पासपोर्ट मान्य होंगे।

14. जिन अभ्यर्थियों का पंजीकरण करते समय आधार प्रमाणीकरण नही हो सकेगा, उन्हें अभिलेखों के सत्यापन के समय आधार कार्ड के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

(ख)एम0डी0/एम0एस0 आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथी हेतुः–

15. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथादिव्यांगजन (पी0डब्लू0डी0) के आरक्षण प्रमाण–पत्र हेतु निर्देश बी0ए0एम0एस0, बी0यू0एम0एस0 एवं बी0एच0एम0एस0 (यू0जी0) पाठ्यक्रमों के समान।

16. प्रदेश के **राजकीय आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथी कालेजों** में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को उ0प्र0 का मूल निवासी होना आवश्यक है। इस निमित्त जिन अभ्यर्थियों ने हाईस्कूल अथवा समकक्ष इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय (काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी एवं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ को छोड़कर) से यू0जी0(बी0ए0एम0एस0/बी0यू0एम0एस0/बी0एच0एम0एस0) पाठ्यक्रमतीनों परीक्षायें उ0प्र0 से उत्तीर्ण की हो, उनके लिए डोमिसाइल/सामान्य निवास प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं होगी। उपरोक्त तीनों परीक्षाओं में से कोई भी एक अथवा दो अथवा तीनों परीक्षायें यदि उ0प्र0 से बाहर उत्तीर्ण की हो, तो ऐसे अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत उ0प्र0 के निवासी होने का (डोमिसाइल/सामान्य निवास) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से हाईस्कूल अथवा समकक्ष एवं इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष उत्तीर्ण अभ्यर्थी को भी निवास प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

17. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु इंटरर्शिप दिनांक 31.07.2024 तक पूर्ण हो जानी चाहिए।

18. प्रदेश के **राजकीय आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथी कालेजों** में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी का आयुर्वेद एवं यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उ0प्र0 अथवा उ0प्र0 होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड, लखनऊ में पंजीकृत होना अनिवार्य रूप से आवश्यक है।

नोट–निजी क्षेत्र के आयुष महाविद्यालयों में बी0ए0एम0एस0/बी0यू0एम0एस0/बी0एच0एम0एस0 अथवा आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथी की एम0डी0/एम0एस0 की सभी सीटें सभी प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिये उपलब्ध हैं। निजी क्षेत्र के आयुष महाविद्यालयों में कोई भी सीट आरक्षित श्रेणी की नहीं है।

(मानवेन्द्र सिंह)
आई0ए0एस0
महानिदेशक, आयुष

2-

Scanned with CamScanner

संख्या–18/1/2008–का–2/2015

प्रेषक,

राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव,उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग–2

लखनऊ, दिनांक : 21 अप्रैल, 2015

विषय :– स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित को राज्याधीन लोक सेवाओं में आरक्षण प्राप्त करने हेतु दिये जाने वाले आश्रित प्रमाण–पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

'उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2015' के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के रूप में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पुत्री के पुत्र एवं पुत्री को सम्मिलित किया गया है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) में प्राविधानित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के 'आश्रित' जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा–2 के खण्ड (ख) में परिभाषित है, के निर्धारित प्रारूप (संलग्न) में सक्षम प्राधिकारी/ अधिकारी अर्थात् जिलाधिकारी द्वारा ही आश्रित प्रमाण–पत्र निर्गत किये जायें।

3– अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त से अपने अधीनस्थ प्राधिकारियों/ अधिकारियों को अवगत कराते हुए तद्नुरूप कार्यवाही सुनिश्चित् कराने का कष्ट करें।

संलग्नक – यथोक्त

भवदीय,

(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या–18/1/2008(1)–का–2/2015–तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1) प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2) प्रमुख सचिव/ सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।

Scanned with CamScanner

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के प्रमाण–पत्र का प्रपत्र।

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती ..... निवासी ग्राम–....., तहसील–....., नगर–..... जिला–..... उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री / श्रीमती / कुमारी (आश्रित)..... ..... पुत्र / पुत्री / पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) उपरांकित अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार उक्त श्री / श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी)..... ..... के आश्रित हैं।

स्थान :
दिनांक :

हस्ताक्षर .....
पूरा नाम .....
पदनाम .....
मुहर .....

जिलाधिकारी
(सील)

Scanned with CamScanner

एन0सी0सी0 प्रमाण–पत्र का प्रारूप

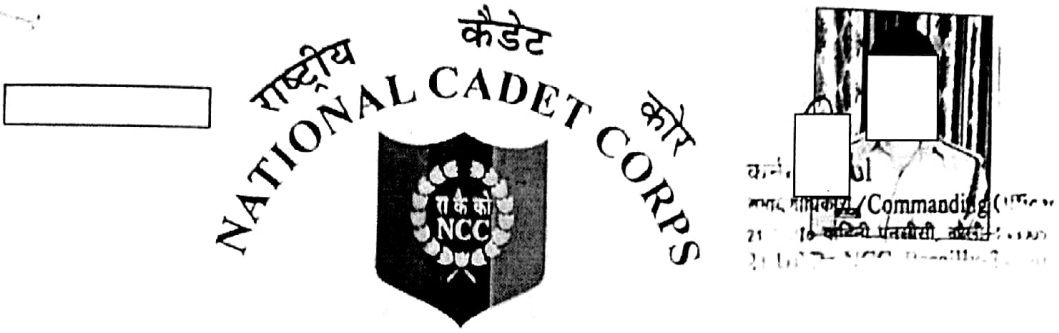

प्रमाण - पत्र 'सी'
CERTIFICATE 'C'

सं॰ No. यूपीएसडी/ UPSD/16/

रैंक Rank कैडेट CADET

नाम Name

सुपुत्र/सुपुत्री Son/Daughter of

यूनिट Unit

जन्म तिथि Date of Birth

राष्ट्रीय कैडेट कोर निदेशालय NCC Directorate यूपी लखनऊ UP, LUCKNOW

प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर लिखित कैडेट ने रक्षा मंत्रलय, भारत सरकार के प्रधिकार के अधीन सन् 2019..... में हुई प्रमाणपत्र **'सी'** परीक्षा ..."बी"..... श्रेणी में पास कर ली है

This is to certify that the above mentioned Cadet has passed the Certificate 'C' Examination in "BEE" Grade held in 20 19..... under the authority of ministry of Defence, Government of India.

क्र॰ सं॰ Ser. No. UPSD/C Cert/Army/

स्थान Place लखनऊ LUCKNOW

दिनांक Date

उप- महानिदेशक, राष्ट्रीय कैडेट कोर
Dy. Director General, National Cadet Corps.

Scanned with CamScanner

<u>अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रमाण–पत्र का प्रारूप</u>

http://164.100.181.28/eDistrict/Certificate/Caste/Forms/printCer

ई-डिस्ट्रिक्ट के अन्तर्गत जारी

उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला
तहसील
आवेदन क्र०
प्रमाणपत्र क्र०

जारी दिनांक:

प्रमाणित किया जाता है कि
पुत्र/पुत्री
माता का नाम
निवासी
ग्राम
तहसील
जिला

उत्तर प्रदेश राज्य की मुसहर जाति के व्यक्ति हैं, जिसे संविधान अनुसूचित जाति आदेश ,1950 (जैसा कि समय समय पर संशोधित हुआ) संविधान (अनुसूचित जाति,उत्तर प्रदेश) आदेश ,1967 के अनुसार अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गयी है। तथा / अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के मकान नं. ,मल्लाहटोली,बहादुरगंज ग्राम मोहल्ला तहसील कासिमाबाद जनपद गाजीपुर में सामान्यतया रहता है।

जारी कर्ता केन्द्र: दुर्ग विजय साहनी ,सीएससी जन सेवा केंद्र
पद: दुर्ग विजय साहनी , केन्द्र प्रभारी
स्थान :त्रिलोक चन्दपुर ,मोहम्मदाबाद,RAMGARH,कासिमाबाद,गाजीपुर
दिनांक:

BIRAG PANDEY
Digitally Signed by BIRAG PANDEY O=REVENUE DEPARTMENT, OU=REVENUE DEPARTMENT,S=Uttar Pradesh

सक्षम अधिकारी/तहसीलदार
डिजिटल हस्ताक्षरित
कासिमाबाद,गाजीपुर
दिनांक:

हस्ताक्षर एंव मुहर

यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक डिलिवरी सिस्टम द्वारा तैयार किया गया है तथा डिजिटल सिग्नेचर से हस्ताक्षरित है। जनसुविधा केन्द्र के अधिकृत कर्मी द्वारा सत्यापित किया गया है। यह प्रमाण पत्र वेबसाइट http://edistrict.up.nic.in पर प्रमाण पत्र आवेदन क्र० फिर प्रमाणपत्र क्र० अंकित कर सत्यापित किया जा सकता है।

Scanned with CamScanner

अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण–पत्र का प्रारूप

164.100.181.16/citizenservices/ServiceEdist/Certificate/Caste/Forms/printCert.aspx?application_no=MjAxNTcvMDMvMDUxNTg5

उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला
तहसील
आवेदन क्र०
प्रमाणपत्र क्र०

जारी दिनांक:

प्रमाणित किया जाता है कि
पुत्र/पुत्री
माता का नाम
निवासी
ग्राम
तहसील
जिला

उत्तर प्रदेश राज्य की मोमिन (अंसार) जाति के व्यक्ति हैं। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम १९९४ की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।
यह भी प्रमाणित किया जाता है कि पूर्वोक्त अधिनियम १९९४ (यथा संशोधित) की अनुसूची २ (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा)अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००१ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एंव जो उ०प्र० लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००२ एवं शासनादेश संख्या 22/16/92 टी० सी०-III , दिनाँक २० अक्टुबर २००८ द्वारा संशोधित की गई है, से आच्छादित नहीं है।इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्षो की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धन कर अधिनियम १९५७ मे तथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति नहीं है |

SHAMBHU SHARAN
Digitally Signed by SHAMBHU SHARAN O=REVENUE DEPARTMENT, OU=OFFICE OF REVENUE, C=IN,CN=SHAMBHU SHARAN, S=Uttar Pradesh

सक्षम अधिकारी/तहसीलदार
डिजिटल हस्ताक्षरित
सदर ,लखनऊ
दिनाँक:

यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रानिक डिलिवरी सिस्टम द्वारा तैयार किया गया है तथा डिजिटल सिग्नेचर से हस्ताक्षरित है एवम् आवेदक द्वारा स्वयं की जांच एवं जानकारी के आधार पर डाउनलोड किया गया है। यह प्रमाण पत्र वेबसाइट https://edistrict.up.gov.in पर इसका पहले आवेदन क्र० फिर प्रमाणपत्र क्र० अंकित कर सत्यापित किया जा सकता है।

164.100.181.16/citizenservices/ServiceEdist/Certificate/Caste/Forms/printCert.aspx?application_no=MjAxNTcvMDMvMDUxNTg5

नोट– दिनांक 01.04.2024 या उसके बाद का निर्गत होना चाहिये।

Scanned with CamScanner

FORM OF
CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY OTHER BACKWARD CLASSES
APPLYING FOR APPOINTMENT TO POSTS UNDER THE GOVERNMENT OF INDIA

जिला
तहसील
आवेदन क्र०
प्रमाणपत्र क्र०

जारी दिनांक:

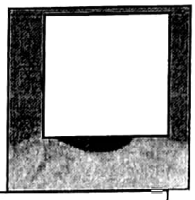

खैर

नोट–भारत सरकार के सेवायोजन हेतु निर्गत प्रमाण–पत्र मान्य नही है।

सक्षम अधिकारी/तहसीलदार
डिजिटल हस्ताक्षरित
खैर,अलीगढ
दिनाँक:

यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक डिलिवरी सिस्टम द्वारा तैयार किया गया है तथा डिजिटल सिग्नेचर से हस्ताक्षरित है एवम् आवेदक द्वारा स्वयं की लॉग इन आइडी के माध्यम से डाउनलोड किया गया है। यह प्रमाण पत्र वेबसाइट https://edistrict.up.gov.in पर इसका पहले आवेदन क्र० फिर प्रमाणपत्र क्र० अंकित कर,सत्यापित किया जा सकता है।

Scanned with CamScanner

भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित के प्रमाण–पत्र का प्रारूप

ELIGIBILITY CERTIFICATE

1. This is to certify that Mr./Miss/Mrs. [redacted] is the son/daughter/widow/wife of No [redacted] Rank PO Name [redacted]

2. His/Her date of birth as recorded in the service document and Matriculation certificate is [redacted]

3. The above named individual:

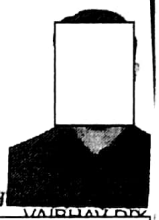

Priority-I :Widows/Wards of Defence personnel killed in action.

Priority-II :Wards of disabled in action and boarded out from service

Priority-III :Widows/Wards of Defence personnel who died while in service with dea attributable to military service.

Priority-IV :Wards of disabled in service and boarded out with disability attributabl military service.

Priority-V :Wards of Ex-Servicemen and serving personnel who are in receipt of Gallantry Awards:-

Priority-VI :Wards of Ex-Servicemen.

Priority-VII : Wives of:

(i) Defence personnel disabled in action and boarded out from service.

(ii) Defence personnel disabled in service and boarded out with disability attributable to military service.

(iii) Ex-servicemen and serving personnel who are in receipt of Gallantry Award.

Priority-VIII : Wards of Serving Personnel.

Priority-IX : Wives of Serving Personnel.

4. [redacted] Son/Daughter/wife/widow of No [redacted]

Rank PO Name [redacted]

is eligible for Nomination as a Govt. of India nominee under Ministry of Defence quota for admission in Medical/Dental Colleges in Priority- VI

No. [redacted]

Dated:

Stamp

जिला [redacted]
पुनर्वास अधिकारी, हरदोई
CO/OC Unit/ ZSB/RSB

COUNTERSIGNED

Dated:

Stamp

सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास बोर्ड के उच्चाधिकारियों अथवा सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ही मान्य होंगे।

Note: For serving personnel eligibility certificate will be signed only by CO Unit or OIC Record.

Scanned with CamScanner

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थ स्वयं घोषणा–पत्र का प्रारूप

(प्रपत्र- II)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थ स्वंय घोषणा पत्र

स्वंय घोषणा पत्र

मैं ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी .....
ग्राम/कस्बा ..... पोस्ट ऑफिस .....
थाना ..... ब्लाक ..... तहसील .....
जिला ..... राज्य ..... ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र हेतु आवेदन दिया है, एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ :-

1. मैं ..... जाति से सम्बन्ध रखता/रखती हूँ, जो उत्तर प्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सूचीबद्ध नहीं है।

2. मेरे परिवार की कुल स्रोतों (वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा इत्यादि) से कुल वार्षिक आय रू ..... (शब्दों में) है।

3. मेरे परिवार के पास उल्लिखित आय के सिवाय अथवा इसके अतिरिक्त अन्यत्र कोई परिसम्पति नहीं है।

अथवा

कई स्थानों पर स्थित परिसम्पतियों को जोड़ने के पश्चात भी मैं (नाम) ..... आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के दायरे में आता/आती हूँ।

4. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे परिवार की सभी परिसम्पतियों को जोड़ने के पश्चात् निम्नलिखित में से किसी भी सीमा से अधिक नहीं है-

I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर ।
II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट।
III. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्रता धारण करता/करती हूँ। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य/गलत पायी जाती है तो मैं पूर्ण रूप में जानता हूँ/ जानती हूँ कि इस आवेदन पत्र के आधार पर दिये गये प्रमाण पत्र के द्वारा शैक्षणिक संस्थान में लिया गया प्रवेश/लोक सेवाओं एवं पदों में प्राप्त की गई नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी/कर दिया जायेगा अथवा इस प्रमाण पत्र के आधार पर कोई अन्य सुविधा/लाभ प्राप्त किया गया है उससे भी वंचित किया जा सकेगा और इस सम्बन्ध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

नोटः- जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर तथा पूरा नाम।

स्थान :-

दिनांक :-

Scanned with CamScanner

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण–पत्र का प्रारूप

(प्रपत्र- I)

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्यालय का नाम.....

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पति प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या-..... दिनांक-.....

वित्तीय वर्ष ..... के लिए मान्य

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....

पुत्र/पति/पुत्री ..... ग्राम/कस्बा.....

पोस्ट ऑफिस ..... थाना .....

तहसील ..... जिला ..... राज्य .....

पिन कोड..... के स्थायी निवासी है, जिनका फोटोग्राफ नीचे अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष ..... में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख (आठ लाख रुपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पति नहीं है:-

I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर ।
II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट।
III. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी ..... जाति ..... के सदस्य हैं, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित नहीं है।

आवेदक का पासपोर्ट साईज का अभिप्रमाणित फोटोग्राफ

हस्ताक्षर ..... (कार्यालय का मुहर सहित)

पूरा नाम .....

पदनाम .....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार।

Scanned with CamScanner